न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत** (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 65/2025

वादी :-

श्यामसिंह पुत्र सोनसिंह उर्फ सोहनसिह जाति राजपुरोहित निवासी मालकोसनी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगणः-

1. सवाईसिंह पुत्र सोनसिंह उर्फ सोहनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी मालकोसनी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :-वादी - श्री पारस चौहान, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 1 - श्री लोकेश सोनी, अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 2- सरकारी पैरोकार

<u>निर्णय</u> दिनांक :-18/04/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 सगे भाई भाई है। तथा एक ही परिवार के सदस्य है। तथा भारत के नागरिक है। ग्राम मालकोसनी, पटवार हल्का मालकोसनी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मालकोसनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1018 रकबा 1.0760 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, खसरा नम्बर 1055 रकबा 0.9142 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 460 रकबा 0.8495 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल कुल खसरे 3 का कुल रकबा 2. 8397 हैक्टेयर स्थित है । उक्त खसरों की भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। जिसमे वादी श्यामसिंह का उक्त खसरो की भूमि मे 1/2 हिस्सा है एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 सवाईसिंह का है। उक्त खसरो की भूमि को आगे वाद के अन्य फिकरो मे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। पद संख्या 02 दो में वर्णित भूमि के खसरा नम्बर 1018 रकबा 1.0760 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, खसरा नम्बर 1055 रकबा 0.9142 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 460 रकबा 0.8495 हैक्टेयर किस्म नहरी अब्बल कुल खसरे 3 का कुल रकबा 2. 8397 हैक्टेयर स्थित है । उक्त खसरो की भूमि पक्षकारो की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। जिसमे वादी श्यामसिंह का उक्त खसरो की भूमि मे 1/2 हिस्सा है एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 सवाईसिंह का है उक्त अनुसार वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्से की भूमि वादी का कब्जा व काश्त निर्वाध रूप से चला आ रहा है । पारिवारीक बात को लेकर प्रतिवादी संख्या 01 एक श्यामलाल वादी से नाराज रहते है एवं वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है । इस कारण वादी को प्रतिवादी संख्या 01 सवाईसिंह के विरूद्ध वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल करने से रोकने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा के लिये दावा पेश करना पड़ रहा है। यदि प्रतिवादी संख्या 01 एक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के नही रोका गया तो वादी के 1/2 हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 एक लाठियो के बल पर हड़प लेगा। जिसकी एलानिया धमकीया प्रतिवादी संख्या 01 एक ने वादी को दे

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

दी है। प्रतिवादी संख्या 01 एक को वादग्रस्त खसरो की भूमि मे वादी के 1/2 हिस्से की भूमि से वादी को बेदखल करने तथा वादी के 1/2 हिस्से की भूमि का वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का दखल करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के प्रतिवादी संख्या 01 एक को पाबन्द नहीं किया गया तो वादी अपने हक हिस्से की भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगा । तथा वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयो पैसो में किया जाना सम्भव नही होगा । तथा परिवार मे एक तरह का विवाद पैदा हो जायेगा। जो कानून एवं न्याय की मंशा कतई नहीं है। वादग्रस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक की सयुक्त खातेदारी की होने से वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 एक को वादी के 1/2 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक के 1/2 हिस्से की भूमि का बहिस्सा बराबर बराबर बन्टवाड़ा करने का कहने एवं राजस्व रेकर्ड मे दोनो की भूमि को अलग अलग खातेदारी दर्ज कर अलग अलग तरमीम करने का दिनांक 21.05. 2024 को निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 एक ने वादग्रस्त कृषि भूमि का बन्टवाड़ा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा वादी को एलानिया धमकीया दी कि वादी को उसके हक हिस्से की भूमि मे काश्त भी नही करने देगा। इस कारण वादी को अपने खातेदारी अधिकारो के लिये बन्टवाड़ा कराने के लिये दावा पेश करना पड़ रहा है। वाद कारण वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक की सयुक्त खातेदारी की होने एवं पैतृक कृषि भूमि होने से तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा वादी के 1/2 हिस्से की भूमि का बन्टवाड़ा करने से इन्कार करने पर एवं वादी को उसके हक हिस्से की भूमि मे काश्त नही करने देने की धमकीया देने पर वाद कारण बमुकाम बिलाड़ा पैदा हुआ है। जो आज भी पैदा हो रहा है।

अत वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 एक डिकी किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम मालकोसनी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1018 रकबा 1.0760 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1055 रकबा 0.9142 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460 रकबा 0. 8495 हैक्टेयर कुल खसरे 3 का कुल रकबा 2.8397 हैक्टेयर की भूमि का वादी को 1/2 हिस्से की भूमि का एवं 1/2 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 एक को खातेदार घोषित कर उक्त भूमि का नाप एवं सीमांकन के आधार पर वादी के 1/2 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाया जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 02 दो तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा को रिसिवर नियुक्त कर प्रारम्भिक डिकी जारी की जावे। एवं बंटवाड़ा प्रस्तुत मंगवाया जावे। प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार (भूमिधारी) के द्वारा बंटवाड़ा प्रस्तुत तैयार कर माननीय न्यायालय ने पेश किया जाने के बाद वादग्रस्त भूमि मे वादी के 1/2 हिस्से की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बन्टवाड़ा किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि को राजस्व रेकर्ड में अलग से दर्ज की जाकर नाप एवं सीमाकंन के आधार पर तरमीम की जावे इस हेतु अन्तिम डिकी जारी की जावे। अन्तिम डिकी जारी होने एवं वादी के 1/2 हिस्से की भूमि का राजस्व रेकर्ड में अलग खातेदारी दर्ज होने के बाद वादी के 1/2 हिस्से की भूमि मे प्रतिवादी संख्या 01 एक के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जावे कि वादी के वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि में न तो स्वयं व न ही अपने परिवार के सदस्य, नौकर, मजदूर आदि के माध्यम से कोई किसी भी प्रकार की काश्त में बाधा नहीं पहुचाई जावें। व न ही किसी अन्य से कोई बाधा पैदा करवाई जावें।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा वाद दिनांक 16.06.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम मालकोसनी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 460 रकबा 0.8495 हैक्टेयर में वादी व प्रतिवादी सं. 1 राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से का नियमानुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	श्यामसिंह पुत्र सोहनसिंह हि.पूर्ण जाति राजपुरोहित	460	0.4247
	कुल योग	1	0.4247
2	सवाईसिंह पुत्र सोहनसिंह हि. पूर्ण जाति राजपुरोहित	460	0.4248
	कुल योग	1	0.4248

उक्त सारणी के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। तहसीलदार बिलाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा कोई आपति पेश नहीं की गई। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 18.07.2025 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं वादी तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 18.07.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढ़ा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 18/07/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

श्यामसिंह सवाईसिंह वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 65/2025

निर्णय **दिनांक :-** 18/08/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री पारस चौहान अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री लोकेश सोनी अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं वादी तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 18.07.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिष्नर			फीस कमिष्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा